HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 7863/2025

1. Richa Trivedi Daughter of Ramranjan Trivedi, Wife of Sriniwas Kumar, Aged About 35 Years, Resident of Gaushala Chowk, Ward No. 2, Heritage School, Punaura, Sitamarghi, Bihar.
2. Ram Ranjan Trivedi Son of Krishna Jiwan Trivedi, Aged About 66 Years, Resident of Trivedi Nagar Road-2, Gaushala Chowk, Ward No. 7, VTC Punaura, PO Sitamarhi Bazar, District Sitamarhi, Bihar.

----Accused/Petitioners

Versus

1. The State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Nitin Son of Pratap Singh, Aged About 25 Years, Resident of 253, 7 No. Gali, Tilak Nagar, Bharatpur (Raj).

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajveer Singh Gurjar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

23/02/2026

1. याचीगण–अभियुक्तगण की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **20/2025,** पुलिस थाना– **जयपुर एयरपोर्ट,** जिला– **जयपुर सिटी (पूर्व)**, अपराध अंतर्गत धारा **316(2), 318(4) भारतीय न्याय संहिता** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. चार सप्ताह की वापसी के साथ अयाची संख्या–2 को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याचीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–20/2025 मिथ्या दर्ज करवायी गई है, उनका कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में ना तो याचीगण–अभियुक्तगण का नाम अंकित है, ना ही उनके द्वारा परिवादी को उसकी नौकरी लगवाने का किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या आश्वासन दिया गया है, उनका यह भी कथन है कि याचीगण–अभियुक्तगण अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याचीगण–अभियुक्तगण को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याचीगण–अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याचीगण–अभियुक्तगण को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वे दिनांक **10.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उनके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **20/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याचीगण–अभियुक्तगण के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **चार सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /18